429

बिहार सरकार

उद्योग विभाग

पत्रांक 1238 उ0वि0डी0/एफ1–15/2009 पटना, दिनांक : 14/10/2009

1049
PH30458-271009

प्रेषक,
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार,
उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना।
महाप्रबंधक, सभी जिला उद्योग केन्द्र।

विषय : खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समेकित विकास योजना के लिये अनुदान स्वीकृति की प्रक्रिया।

महाशय,

उद्योग विभाग के प्रत्रांक 418 दिनांक 24.01.2008 एवं पत्रांक 7329 दिनांक 05.12.2008 द्वारा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन केलिए राज्य सरकार का अंशदान अनुदान के रूप में व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त अनुदान की स्वीकृति की प्रक्रिया निम्न रूप में संसूचित किया जाता है:–

पृष्ठभूमि :

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के "विजन डॉक्यूमेंट" में इस पर बल दिया है कि कृषि बिहार की सबसे बड़ी ताकत है मगर आधारभूत संरचनाओं एवं मूल्यवर्द्धन की सुविधाओं में अभाव की वजह से इस क्षेत्र की सही पहचान नहीं हो पाई है। इस राज्य में बर्बादी का स्तर खासकर फल और सब्जियों में काफी ज्यादा है और इस वजह से किसानों को उचित आमदनी नहीं मिल पाती है। इसलिए विजन डॉक्यूमेंट में परामर्श दिया गया है कि राज्य में फल एवं सब्जियों का प्रसंस्करण अधिक–से–अधिक हो। इसके रख–रखाव को और इसके अनुकूल सुदृढ़ किया जाय।

उद्येश्य :

इस योजना का उद्येश्य खाद्य प्रसंस्करण प्रक्षेत्र में चावल, मकई, दाल, मधु, मखाना, फल, सब्जियों और दूसरे कई इकाईयों द्वारा बुनियादी संरचनाओं, तकनीकी, कौशल एवं विपणन संबंधी रूकावटों को दूर करना है, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित बातें हैं–

- राज्य में विशाल कृषि संसाधन के उपयोग के लिये नई खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयों का विकास।

- राज्य में आधुनिक प्रसंस्करण संरचनायें विकसित कर खाद्य प्रसंस्करण ईकाईयों में बढ़ाना।

- विस्तार, उन्नयन और मूल्यवर्धन में आधुनिक तकनीक लाकर छोटे, लघु एवं मध्यम ईकाईयों को वैल्यू चेन में ऊपर लाना।

- चिंहित कलस्टरों में छोटे, लघु एवं मध्यम इकाईयों की क्षमता को बढ़ाना जिससे उन्हें राज्य/ केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।

- पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशीप अंतर्गत विकास की प्रकिया में लाभार्थियों (beneficiries) का चयन और अंततः इन इकाईयों का स्वामित्व एवं प्रबंधन का हस्तांतरण।

- उद्योग संघों/ कलस्टर स्टेकहोल्डरों को ज्यादा उत्तरदायी एवं भागीदार बनाना जिससे विकास प्रकिया का अधिकतम उपयोग हो सके।

<u>सहायता :</u>

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कॉमन कलस्टर आधारभूत संरचना में अनुदान के रूप में प्रोजेक्ट व्यय का 40 प्रतिशत (अधिकतम 10 करोड़ रुपये) की राशि और व्यक्तिगत निवेशक वाले प्रोजेक्ट मूल्य का 35 प्रतिशत (अधिकतम 05 करोड़ रुपये) की राशि देने की योजना मंत्रिपरिषद से स्वीकृत है।

<u>कार्यान्वयन एजेंसी</u>

यह योजना आई.एल.एफ.एस. कलस्टर डेवेलपमेंट इनिसिएटिव द्वारा कार्यान्वित हो रही है, जिसे इस बाबत् बिहार सरकार ने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी के रूप में बहाल किया है।

<u>लाभार्थियों की पहचान</u>

यह पहचान आई.एल.एफ.एस. कलस्टर डेवेलपमेंट इनिसिएटिव द्वारा की जा रही है।

<u>प्रोजेक्ट स्वीकृति एवं अनुश्रवण कमिटी (PAMC) का गठन</u> – खाद्य प्रसंस्करण परियोजना की स्वीकृति एवं अनुश्रवण हेतु प्रधान सचिव, उद्योग विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है, जिसके सदस्य निम्नांकित पदाधिकारी होगें।

1. निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार सरकार
2. निदेशक, उद्योग, बिहार सरकार
3. संयुक्त निदेशक, उद्योग, बिहार सरकार
4. उपनिदेशक, उद्योग, बिहार सरकार
5. कार्यकारी निदेशक, इंस्टीच्युट ऑफ इन्टरप्रेन्यूरशिप डेवेलपमेंट, पटना
6. चेयरमैन, सी.आई.आई., बिहार प्रभाग

427

खाद्य प्रसंस्करण परियोजना की स्वीकृति की प्रक्रिया

उद्यमी/निवेशक बिजनेश प्लान आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 (सी0डी0आई0) को उपलब्ध करायेंगे। इसके आधार पर आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 (सी0डी0आई0) द्वारा प्रोजेक्ट प्रोफाईल तैयार कर अनुशंसा के साथ राज्य पूँजी निवेश प्रोत्साहन पर्षद को स्वीकृति हेतु उद्योग विभाग को समर्पित किया जायेगा। इसके बाद पी0ए0एम0सी की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। जिन मामलों में निवेशक/उद्यमी/कम्पनी ने स्वयं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है, वैसे मामलों में विहित प्रपत्र में आवेदन उद्यमी/निवेशक/कम्पनी द्वारा उद्योग विभाग को समर्पित किया जायेगा। इसे आई0एल0 एण्ड एफ0एस0 से इसका अप्रेजल कराकर उसकी स्वीकृति की कार्रवाई की जायेगी। परियोजना एवं इसमें सन्निहित अंशदान की स्वीकृति एवं विमुक्ति की प्रक्रिया निम्नप्रकार होगी :–

	विवरण
सैद्धान्तिक स्वीकृति (नोट–प्रोमोटर्स चाहें तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रारंभ में ही जमाकर परियोजना की अन्तिम स्वीकृति प्रारंभ में ही ले सकते हैं।)	• निर्धारित प्रारूप में एक आवेदन SIPB में जमा करना जिसके साथ एक संक्षिप्त प्रोजेक्ट जानकारी हो जैसे प्रोमोटर्स की विश्वसनीयता, जमीन उपलब्धता, बिजनेस प्लान इत्यादि। • PAMC से स्वीकृति लेने हेतु एक आवेदन उद्योग विभाग या PMA के पास जमा करना चाहिए। • SIPB और PAMC से प्राप्त सैद्धान्तिक स्वीकृति 6 महीने तक वैध रहेगी, इसी बीच विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना होगा। विशेष परिस्थियों में सरकार छः माह के बाद भी इसकी अनुमति दे सकेगी। • राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिहार सरकार द्वारा प्रोमोटर्स को संसूचित किया जायेगा। • विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद की सैद्धान्तिक सहमति मिलने के बाद औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2006 के अन्तर्गत औद्योगिक भूखण्ड के लीज/विक्री/अंतरण पर लगने वाले स्टाम्प डयूटी/पंजीकरण शुल्क से छूट के लिए प्राधिकार पत्र निर्गत किया जा सकेगा।।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना।	• जमीन, मास्टर प्लान के साथ सिविल कार्य के लिये जरूरी कोटेशन, प्राक्कलन इत्यादि के दस्तावेजी साक्ष्य प्रोमोटर्स द्वारा देने पर PMA द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार किया जायेगा।
अंतिम स्वीकृति।	• PMA के सिफारिशों के आधार पर PAMC द्वारा

	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जिसमें अनुदा सम्मिलित होगी, की अंतिम स्वीकृति दी जाये। • बिहार सरकार द्वारा अंतिम स्वीकृति और अ विमुक्त करने से पहले की औपचारिकतायें पूरी कर के संबंध में चिट्ठी निर्गत किया जायेगा। उपर्यु प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो निवेशक औद्योगि प्रोत्साहन नीति के अन्तर्गत स्टाम्प ड्यूटी ए पंजीकरण शुल्क से छूट का लाभ पंजीकरण के पू प्राप्त नहीं कर पाये हो, उन्हें भुगतान की गयी रा की प्रतिपूर्ति की जायेगी।
अनुदान की विमुक्ति/ भुगतान पूर्व की शर्तें।	**पहली किश्त** • निर्धारित प्रारूप में प्रोमोटर्स द्वारा अपना दावा प्रस्तु किया जायेगा। • PMA द्वारा पते का सत्यापन किया जायेगा। • भुगतान पूर्व, बिहार सरकार एवं PMA के अधिकारियों द्वारा प्रोजेक्ट स्थल पर जाकर वास्तविक प्रगति की जानकारी प्राप्त की जायेगी। • RAMC से अंतिम स्वीकृति के बाद माननीय उद्योग मंत्री, बिहार सरकार से अनुदान की राशि की स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। • बिहार सरकार एवं प्रोमोटर्स के बीच MOA पर हस्ताक्षर किया जायेगा। • जहाँ भी जरूरत हो, प्रोमोटर्स SPV/ FPU को जमीन हस्तांतरण/ पट्टे पर उपलब्ध करायेंगे। • PMA की सहायता से SPV/ FPU निर्माण योजना और समयबद्धता का विवरण प्रस्तुत करेंगे। • PMA की सहायता से SPV/FPU परियोजना की इंजिनीयरिंग योजना, कार्यान्वयन योजना, उसकी समयबद्धता के साथ स्वीकृति के लिये जमा करेंगे। • SPV/ FPU को PMA की सहायता से विधिवत निष्पादित टी.ओ.आर.ए. (TRA) करार / No-lien खाते की सूचना दस्तावेज के साथ देना होगा। • TRA/ No lien खाते से राशि की निकासी एक SPV/ FPU द्वारा प्राधिकृत और दूसरा उद्योग विभाग (बिहार सरकार) द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी। • SPV/ FPU द्वारा TRA/ No lien खाते में अपनी equity share के रूप में आनुपातिक राशि जमा करनी होगी।

- PMA की अनुशंसा प्राप्त होनी चाहिए।

<u>दूसरी किश्त</u>

- **SPV/ FPU** को प्रोजेक्ट के लिये मिल रही विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण स्वीकृत होना चाहिए।
- **SPV/ FPU** द्वारा सिविल कार्य आरंभ होना चाहिए।
- **SPV/ FPU** द्वारा प्रस्तावित प्लांट और मशीनरी के क्रय हेतु कार्यादेश आपूर्त्तिकर्त्ता को दिया जाना चाहिए।
- PMA की अनुशंसा प्राप्त होनी चाहिए।

<u>तीसरी किश्त के पहले</u>

- **SPV/ FPU** को पिछली किश्तों का भुगतान की गयी राशि एवं परियोजना लागत का 30 प्रतिशत की राशि का उपयोग हो जाना चाहिए।
- पी.एम.ए. और बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से वास्तविक प्रगति का आंकलन एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन देना होगा।
- इस संदर्भ में पी.एम.ए. की अनुशंसा प्राप्त किया जायेगा।

<u>चौथी किश्त के पहले</u>

- **SPV/ FPU** को चार्टर एकाउन्टेंट द्वारा परियोजना सम्पूर्ण होने का प्रमाण–पत्र समर्पित करना होगा।
- उपर्युक्त परियोजना के सम्पूर्ण होने के प्रमाण–पत्र के आधार पर उद्योग विभाग और आई0एल0 एण्ड एफ0एस के पदाधिकारी द्वारा सयुंक्त रूप से वास्तविक प्रगति का आंकलन एवं निरीक्षण कर प्रतिवेदन देना होगा।
- निरीक्षण दल एवं PMA द्वारा अनुशंसित राशि का भुगतान किया जायेगा।

❖ अनुश्रवण रिपोर्ट का प्रारूप संलग्न है।

<u>निरीक्षण टीम की संरचना</u>

संयुक्त जॉच/ अनुश्रवण के लिये गठित टीम में निम्न सदस्य होंगे :

1. उद्योग विभाग से 2 सदस्य
2. **PMA** से 2 सदस्य

नोट :– किसी तरह के विवाद के उत्पन्न होने पर औद्योगिक प्रोत्साहन नीति–2006 / खाद्य प्रसंस्करण नीति में निहित प्रावधान ही प्रभावी होंगे।

PAMC	=	**Project Approval & Monitoring Committee**
PMA	=	**Project Management Agency**
FPU	=	**Food Processing Unit**
SPV	=	**Special Purpose Vehicle**
MOA	=	**Memorandum of Agreement**
TRA	=	**Trust and Retention Account**

विश्वासभाजन,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1238 पटना, दिनांक 14/10/2009
डी०टी०डी०/एफ1–15/2009

प्रतिलिपि:– सभी विभाग/विभागाध्यक्षों/राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने वाली सभी निवेशक कंपनी/बिहार इंडस्ट्रीज एशोसिएशन/बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स/सी०आई०आई०, पटना क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

प्रधान सचिव, 14.10.09
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 1238 पटना, दिनांक 14/10/2009
डी०टी०डी०/एफ1–15/2009

प्रतिलिपि:– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/उद्योग मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रषित।

प्रधान सचिव, 14.10.09
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक : पटना, दिनांक
प्रतिलिपि:– सभी विभाग/विभागाध्यक्षों/राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने वाली सभी निवेशक कंपनी/बिहार इंडस्ट्रीज एशोसिएशन/बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स/सी०आई०आई०, पटना क्षेत्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।
प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।
ज्ञापांक : पटना, दिनांक
प्रतिलिपि:– मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/उद्योग मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रषित।

प्रधान सचिव
उद्योग विभाग, बिहार पटना।